FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली

जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – 102, कंचन अपार्टमेण्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर (राज.) शाखा कार्यालय–करौली जरिये प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह – प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिओम शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा (फौत) – ऋणी
   1/1 श्रीमती संध्या शर्मा पत्नि स्व. श्री हरिओम शर्मा
   1/2 सुश्री रेणु शर्मा पुत्री स्व. श्री हरिओम शर्मा
   1/3 सुश्री कीर्ति शर्मा पुत्री स्व. श्री हरिओम शर्मा
   1/4 श्री विकास शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिओम शर्मा
   1/5 श्री नवीन शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिओम शर्मा
2. श्रीमती संध्या शर्मा पत्नि स्व. श्री हरिओम शर्मा – सहऋणी
   निवासीयान–66, पुरानी ट्रक यूनियन, गोमती नगर, करौली जिला करौली (राज.)
3. श्री केदार मीणा पुत्र श्री नथोली मीणा
   निवासीयान–मकान नं. 83, ग्राम चकराजपुरा, सहजनपुर, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली
   दूसरा पता–शिव कॉलोनी, जील का हर, जिला करौली राज. 322241 – जमानती

मु.नं.–23/19 कि.मु.–अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 ता.रजु–13.08.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2019	प्रार्थी की ओर से श्री नितिन शर्मा, एडवोकेट द्वारा यह प्रार्थना पत्र The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत विरूद्ध ऋणी व सहऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी व सहऋणी ने प्रार्थी से 12,00,000 रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी व सहऋणी ने अपनी अचल सम्पति जो खसरा नं. 6616, आवासीय प्लॉट नं. 06, पटवार हल्का करौली–10 तहसील व जिला करौली राज. में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 111.80 वर्ग गज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैः–पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में रास्ता कॉलोनी, उत्तर में प्लॉट नं. 05, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी व सहऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण ऋणी व सहऋणी के खाता को दिनांक 15.02.2016 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी संस्था के दिनांक 17.02.2019 तक राशि 26,54,100 (छब्बीस लाख चौपन हजार एक सौ रुपये मात्र) रूपये व आज तक ब्याज एवं अन्य खर्चे ऋणी व सहऋणी पर बकाया निकलता है जिसको ऋणी व सहऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी संस्था द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 22.03.2019 को ऋणी व सहऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी व सहऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी	

कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी संस्था द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी व सहऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त बावत् ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी व सहऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी संस्था के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी संस्था के द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.03.2019 को ऋणी व सहऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी ऋणी व सहऋणी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह से प्रयास के बावजूद राशि वसूल नहीं कर पाने पर अंतिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में ऋणी व सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बंधक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ऋणी व सहऋणी द्वारा प्रार्थी संस्था से ऋण सुविधा लेते समय उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी व सहऋणी ने अपनी अचल सम्पति जो खसरा नं. 6616, आवासीय प्लॉट नं. 06, पटवार हल्का करौली–10 तहसील व जिला करौली राज. में जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 111.80 वर्ग गज है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैः–पूर्व में अन्य सम्पत्ति, पश्चिम में रास्ता कॉलोनी, उत्तर में प्लॉट नं. 05, दक्षिण में अन्य सम्पत्ति स्थित है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी संस्था को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक करौली को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली